

न्यायालय अवर न्यायाधीश, बलिया ।

दीवानी वाद सं० – 232/16

दाहु दास-----वादी

बनाम

आनंदी दास वगै० ----- प्रतिवादी

**02/03/2021** वादी एवं प्रतिवादी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। वादी की तरफ से दिनांक- 09/11/2020 को दाखिल आदेश- 22, नियम- 09 का आवेदन प्रचालित किया गया। इस पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिउत्तर देने से मना किया। आवेदन पर सुना।

दिये हुए आवेदन के अनुसार वादी का कहना है कि वादी की मृत्यु दिनांक- 02/09/2020 को चूँकि है और वे अपने पीछे दो बेटे अशोक दास और अजय दास को छोड़कर गये हैं। दिये हुए आवेदन शपथ-पत्र के साथ और उस पर अजय दास एवं अशोक दास का हस्ताक्षर भी किया गया है। दिये हुए आवेदन समय-सीमा के अंदर दाखिल किया हुआ है एवं कोरोना महामारी के चलते जो विलंब है। उसको माफ करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय प्रतिस्थापन करें।

वाद दिनांक- 17/04/2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, बलिया ।